एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा

नई दिल्ली | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली में बड़ी संख्या में बच्चों के भिक्षावृत्ति में लगे होने का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह बच्चों को इस दलदल से बाहर निकालने तथा उनका पुनर्वास एवं पढ़ाई-लिखाई सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा, बाल भिक्षावृत्ति बच्चों के अधिकारों का हनन है। पिछले कुछ महीने से आयोग ने बाल भिक्षावृत्ति पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इस समस्या के निदान के लिए गैर सरकारी संगठनों और दूसरी एजेंसियों के साथ कई बैठकें की हैं। शुरुआती तौर पर उसने राजधानी में समस्या के खिलाफ ताकत झोंकी है और इसमें वह स्थानीय सरकार और पुलिस प्रशासन की पूरी मदद चाहता है। प्रक्रिया तीन चरणों में होनी चाहिए। पहले में बच्चों को मुक्त कराना, दूसरे में उनका पुनर्वास और शिक्षा तथा तीसरे चरण में उनको सही माहौल देना शामिल है।

dainikbhaskar.com
July 20, 2016 | Pg-4